वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2007

का. आ. 1397.—केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानिटरिंग) नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दुग्ध उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानिटरिंग) संशोधन नियम 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. दुग्ध उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानिटरिंग) नियम 2000 के नियम 4 के उपनियम 4.18 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4.18 यह सुनिश्चित करने के लिए इन नियमों का पालन किया जा रहा है, संयंत्र और पैकिंग केन्द्रों का निरीक्षण और मानिटरिंग तीन मास में एक बार सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसकी सभी समयों पर संयंत्र के सभी भागों में निर्बाध पहुंच होगी उत्पादन की स्वास्थ्य जाँच और पर्यवेक्षण उपाबंध "घ" में दिए गए तत्वों के अनुसार किया जाएगा।"

[फा. सं. 6/1/2000-ईआई एण्ड ईपी]

वी. के. गाबा, उपसचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 2720 तारीख 28-11-2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और क्रमशः अधिसूचना सं. का.आ. 3719 तारीख 12-11-2002, का.आ. 999 (अ) तारीख 13-9-2004 और का.आ. 715 तारीख 25-2-2005 द्वारा उनमें पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

New Delhi, the 24th April, 2007

S. O. 1397.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Milk Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2000, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Milk Products (Quality control Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Milk Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2000, in rule 4, for the sub-rule 4.18 the following shall be substituted, namely :—

"4.18. The inspection and monitoring of plant and packaging centres shall be carried out at least once in three months by the competent authority, which shall at all times have free access to all parts of the plants, in order to ensure that these rules are being observed. The health checks and supervision of production shall be carried out as per the elements given in Annexure D".

[F. No. 6/1/2000-EI&EP]

V. K. GAUBA, Dy. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India Part II, Section 3(ii) *vide* Notification No. S.O. 2720 dated 28-11-2000 and subsequently amended *vide* Notification No. S.O. 3719 dated 12-11-2002, S.O. 999 (E) dated the 13-9-2004 and S.O. 715 dated 25-2-2005.

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2007

का.आ. 1398.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 12 के उपनियम (2) के साथ पठित निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स सुपरिंटेंडेंस कंपनी ऑफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड को जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, प्लाट नं. एल-24, इंडस्ट्रियल इस्टेट, डाम रोड, पो. ओ. होसपेट, बैल्लारी, कर्नाटका-583203 में स्थित है को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए तत्कालीन वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3975 तारीख 20 दिसम्बर, 1965 में उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिज तथा अयस्क, ग्रुप-I अर्थात् लौह अयस्क और मैगनीज अयस्क, (मैगनीज डाइआक्साइड को छोडकर) उक्त खनिजों और अयस्क के निर्यात से पूर्व निम्नलिखित शर्तों के अधीन होसपेट में, निरीक्षण करने के लिए एक अभिकरण के रूप में मान्यता प्रदान करती है, अर्थात् :—

(i) यह कि मैसर्स सुपरिंटेंडेंस कंपनी ऑफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड, खनिज और अयस्क ग्रुप-I (निरीक्षण) नियम, 1965 के नियम 4 के अधीन निरीक्षण का प्रमाण-पत्र देने के लिए उनके द्वारा अपनाई गई पद्धति की जांच करने के लिए, इस निमित्त निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा नामित अधिकारियों को पर्याप्त सुविधाएं देगी;

(ii) यह कि मैसर्स सुपरिंटेंडेंस कंपनी ऑफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड, इस अधिसूचना के अधीन अपने कृत्यों के पालन में निदेशक (निरीक्षण और क्वालिटी नियंत्रण) द्वारा समय-समय पर लिखित में दिए गए निर्देशों से आबद्ध होंगी ।

[फा. सं. 5/2/2007-ईआई एण्ड ईपी]

वी. के. गाबा, उपसचिव